

13.02.2020

पत्रावली पैश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण सूचित होने के उपरान्त भी नियत सुनवाई पर गैरहाजिर रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगद्दी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर, सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकली (भीलवाड़ा) राय